समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (
फैक्स न0–0612–221
Email: dampatnaarmssection@gmail.
dm-patna.bih@n

–: आदेश :–

12-07-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या–193/2008, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेद **श्री सैयद जावेद मोहसीन,** पिता–श्री सैयद मोहसीन अली, सा0–202, मुनेश्वरी राज अपार्टमेंट, थाना–बद्धा कॉलोनी, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल श अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–646/2007 कायम करते हुए वरी पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं आवेदक को सुनवाई का अवसर देते हु पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक–12.07.2013 को माननीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा आदे पारित करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के आलोक वाद की कार्रवाई पुनः आरम्भ करते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–12.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्र में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। उनके द्वारा अप जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने प सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–2019/गो0, दिनांक–03.12.2007 द्वार अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र क अग्रसारित/अनशंसित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पटना द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति को अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलोनी द्वार प्रतिवेदित किया गया है कि वे दवा का व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त आवेदक अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वव अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री सैयद जावेद मोहसीन, पिता–श्री सैयद मोहसीन अली, सा0–202, मुनेश्वरी राजीव अपार्टमेंट, थाना–बद्धा कॉलोनी, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।